अध्याय IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों का अनुपालन और लेखाओं की गुणवत्ता का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो इससे रणनीतिक योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है।

4 लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य के समेकित निधि एवं लोक लेखा के बाहर की निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन, अनुच्छेद 266 (1) निर्धारित करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों को निर्गत कर उस सरकार द्वारा उगाही किए गए सभी ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाएगी, जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 5(1) के अनुसार, राज्य के मामलों के संबंध में नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त या जमा किए गए सभी धन, सरकार द्वारा प्राप्त एवं उगाही किए गए लोक धन राजस्व को छोड़कर, लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

उपकर संग्रहण

राज्य में क्रियाशील उपकर संग्रहण में से तीन की संवीक्षा लेखापरीक्षा के दौरान की गई, परिणाम निम्नवत थे–

- **भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः**

  भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी0ओ0सी0डब्ल्यू0) का गठन राज्य सरकार[18] द्वारा फरवरी 2008 में किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत निधि उपलब्ध कराना है। बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध–सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किये गए कुल खर्च का एक प्रतिशत की दर से निधि एकत्र करता है।

  विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–108–लोक कार्य जमा के अन्तर्गत लेखांकित गया था जिसमें श्रम उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ भी थी। परिणामतः, विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। यद्यपि, एक अलग उप–शीर्ष 8443–00–108–0004 जून 2019 में सरकार द्वारा श्रम से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर के संग्रह के लिए खोला गया था, तथापि यह उपशीर्ष आज तक परिचालन में नहीं था। वर्ष 2017–18 से 2019–20

[18] अधिसूचना सं0 04/एफ01-302/2006/एल0ई0 865 दिनांक:18.02.2008

के दौरान, ₹ 925.77 करोड़ की राशि संग्रहित की गयी जिसमें से ₹ 289.75 करोड़ 2019–20 से संबंधित था, जबकि मार्च 2020 तक संग्रहित कुल ₹ 1,383.64 करोड़ की राशि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा रखा गया था।

- **बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन (बी0डी0एम0एफ0)**

  इसका गठन खानों एवं खनिजों (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) की धारा 9B के साथ पठित धारा 15A की उप–धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के तहत, वर्ष 2015 में यथासंशोधित किया गया था, जो खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियो और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए क्रियाशील था। निधि का संग्रहण, सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर खनिज रियायतों/खनन क्षेत्र के धारकों से प्राप्त शुल्क, शुल्क जमा रखने पर उपार्जित सभी ब्याज, स्वैच्छिक अंशदान इत्यादि से की जाती हैं। उक्त निधि का उपयोग "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना" के अनुसार किया जाता है। यह निधि सरकार द्वारा बचत खाता के माध्यम से अनुसूचित बैंक या इस उद्देश्य के लिए नामित बैंक में रखी जा रही है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान ₹ 68.55 करोड़ संग्रहित कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा किये गये थे।

- **पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए जिला सोसायटी (डीस्कोर)**

  बिहार सरकार ने मार्च 2005 में कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रणाली (स्कोर) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी पंजीकरण कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया था। बिहार पंजीकरण नियमावली, 2008 के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण का कार्य राज्य स्तर पर राज्य–स्तरीय संस्था पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए संस्था (बिस्कोर) और प्रत्येक जिला–स्तर पर डीस्कोर द्वारा की जा रही थी। स्वचालित पंजीकरण प्रक्रिया एवं सॉफ्टकॉपी में दस्तावेज के संरक्षण हेतु सेवा शुल्क की उगाही की जा रही थी परंतु, कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। यद्यपि, विभाग ने कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान किए बिना पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त सेवा शुल्क लगाया। डीस्कोर ने 2019–20 में सेवा शुल्क के रूप में ₹ 33.88 करोड़ संग्रहित कर बैंक खाते में रखे।

  इस प्रकार, बिहार सरकार ने अवैध रूप से बिहार पंजीकरण नियम में सेवा शुल्क वसूलने का प्रावधान किया। यह मुद्दा वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्या 1 के राजस्व प्रक्षेत्र प्रतिवेदन 2018–19 में पहले भी प्रकाशित हो चुका है।

  श्रम उपकर, बी0डी0एम0एफ0 तथा डीस्कोर में किया गया अंशदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 266 (1) का उल्लंघन है।

सरकारी लेखाओं के बाहर नियामक निधियाँ

नियामक प्राधिकरण, संविधान के अनुच्छेद 12 मे निहित अर्थ के अनुसार "राज्य" हैं। उनके कार्य निर्वहन से प्राप्त निधि ''राज्य सरकार की ओर से'' है। अतएव, ऐसी राशि को राज्य के लोक लेखा में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 266(2) के अनुसार, अन्य सभी लोक निधि जो किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से जैसा भी मामला हो, प्राप्त किए गए हो, राज्य के लोक लेखा में जमा किये जाएंगे।

राज्य मे दो विनियामक क्रियाशील हैं। विनियामकों के लेखाओं की जाँच के क्रम में निम्नलिखित पाया गया–

- **अचल सम्पत्ति विनियामक प्राधिकरण (रेरा)**

  रेरा का गठन अचल सम्पत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, (2016 के संख्या 16), के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति क्षेत्र के नियमन और संवर्धन तथा प्लॉट, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री सुनिश्चित करने अथवा अचल सम्पत्ति परियोजना की बिक्री के लिए, जैसा भी

मामला हो के लिए किया गया था। अधिनियम की धारा 75(1) और (2) के अनुसार, सभी सरकारी अनुदानों से प्राप्त धनराशि, प्राप्त शुल्क और उसपर उपार्जित ब्याज के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस धनराशि का उपयोग प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्तों तथा प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन हेतु किया जाता हैं। संग्रहित राशि को ''रेरा'' द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा जा रहा है। वर्ष 2018–19 तक संग्रहित ₹ 21.68 करोड़ की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया था।

- **बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0)**

  बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) की स्थापना, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत बिहार सरकार के अधिसूचना सं0 1284, दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा किया गया था। प्रावधान के अनुसार, निधि का संग्रहण राज्य आयोग को प्राप्त कोई अनुदान एवं ऋण, सभी प्राप्त शुल्क तथा किसी अन्य स्त्रोत से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशि इत्यादि से की जाती है तथा निधि का उपयोग अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों आदि के वेतन, भत्तों एवं अन्य पारिश्रमिक तथा प्राधिकरण के कार्यो के निर्वहन के लिए किया जाता है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान ₹ 22.38 करोड़ निधि संग्रहित कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों मे सावधि जमा एवं बचत खातों के रूप मे रखा गया था, जिसमें से ₹ 7.90 करोड़ वर्ष 2019–20 से संबंधित था।

दोनों विनियामकों ने संग्रहित राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा किया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन है।

4.2 वित्तीय वर्ष के दौरान स्पष्ट देनदारियों का समावेश नहीं किया जाना

उन वर्षो मे जब राजकोषीय स्थितियाँ तंग होती हैं ऐसे मे कुछ भुगतानों को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने की प्रवृति होती है। इनमें सब्सिडी से संबंधित भुगतान, अन्य अनुबंधित भुगतान शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए विपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 49 अपूर्ण परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 4.1)*** के भुगतान के लिए ₹ 123.80 करोड़ की राशि बकाया थी। ठेकेदारों द्वारा किये गए कार्य का बिल जमा करने के बावजूद भुगतान को स्थगित रखा जाना या रोक दिया जाना सरकार के लिए देनदारियाँ उत्पन्न करता है और खातों की अपूर्णता और गैर–पारदर्शिता दर्शाता हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार की समग्र देयता पर राजकोषीय घाटा ₹ 123.80 करोड़ कम दर्शायी गयी।

4.3 ब्याज संग्रही जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज देयता वाली जमाराशियों (खातों का मुख्य शीर्ष 8011 एवं 8342) पर ब्याज का भुगतान करे, विस्तृत विवरण **तालिका 4.1** में प्रदर्शित है।

तालिका 4.1: ब्याज देय जमा के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नही करना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज देय जमा का नाम	31 मार्च 2020 को राशि	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	349.85	15.06
2.	8011–बीमा एवं अन्य निधि–106–अन्य बीमा एवं पेंशन निधि	41.12	
	कुल	**390.97**	**15.06***

****₹ 188.32 करोड़ के जमा पर 8 प्रतिशत (सा0भ0नि0) की दर से ब्याज देय था।***
(स्रोत: वित्त लेखा, 2019–20)

सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 की अंतशेष राशि ₹ 188.32 करोड़ की ब्याज देय जमाराशियों पर ब्याज देयता के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार सरकार के समग्र दायित्व, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे को ₹ 15.06 करोड़ कम दर्शाया गया था।

4.3.1 सामान्य भविष्य निधि (सा0भ0नि0) पर ब्याज देयता

राज्य सरकार द्वारा 2019–20 की अवधि के लिए आवश्यकता के विरूद्ध सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नीचे तालिका में सा0भ0नि0 पर ब्याज के रूप में किए गए कम भुगतान की मात्रा वर्णित की गयी है।

तालिका 4.2 : सा0भ0नि0 पर ब्याज के कम भुगतान की विवरणी

(₹ करोड़ में)

सामान्य भविष्य निधि श्रेणी	वर्ष 2019–20 के प्रारंभ में शेष	देय ब्याज	दिया गया ब्याज
सामान्य भविष्य निधि	10,250.52	820.04	280.93
अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधि	227.03	18.16	12.00
कुल	**10,477.55**	**838.20**	**292.93**

(स्रोत: वित्त लेखा, 2019–20)

सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज के कम भुगतान के फलस्वरूप, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा ₹ 545.27 करोड़ (₹ 838.20 करोड़ – ₹ 292.93 करोड़) कम दर्शाया गया। हालॉकि, ब्याज का कम भुगतान निधि के प्रतिकूल अवशेष को भी इंगित करता है।

4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियो को सीधे निधि का हस्तांतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त धनराशि हस्तांतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के खातों में परिलक्षित नहीं होते है। ये हस्तांतरण संबंधित वर्ष के वित्त लेखा के खंड–II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 10,170.12 करोड़ हस्तांतरित किया गया था जो विगत वर्ष की तुलना में 79.09 प्रतिशत (₹ 5,678.88 करोड़) अधिक था। (वित्त लेखा, 2019–20 का परिशिष्ट VI)

हस्तांतरण एवं वास्तविक उपयोगिता के विश्लेषण के लिए चार[19] कार्यान्वयन एजेंसियों के परीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 47.97 करोड़ (बिहार राज्य मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड) और ₹ 27.02 करोड़ (बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) खर्च नहीं हुये थे और निधि अव्यवहृत थी जैसा कि **तालिका 4.3** में दर्शाया गया हैं।

[19] पथ निर्माण विभाग, बिहार, बिहार राज्य मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और बिहार राज्य फुड एवं सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लिमिटेड

तालिका 4.3: वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	उपयोगित राशि	प्रत्यर्पण	अवशेष राशि
1.	बिहार राज्य मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	2017–18		35.67	1.09	0.00	34.58
			2018–19	34.58	37.93	41.02	0.00	31.50
			2019–20	31.50	19.72	23.92	0.61	26.69
		राष्ट्रीय गोकुल मिशन	2017–18	0.47	15.00	2.83	0.00	12.64
			2018–19	12.64	9.50	9.52	0.00	12.62
			2019–20	12.62	12.31	3.65	0.00	21.28
2.	बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	टूरिस्ट सर्किट राउण्ड स्पेसिफिक थीम (स्वदेश दर्शन) का एकीकृत विकास	2017–18	20.20	46.80	12.16	0.00	54.84
			2018–19	54.84	36.32	46.89	0.00	44.26
			2019–20	44.26	56.11	73.35	0.00	27.02

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

4.5 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज्य अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–109–पंचायत निकाय कोष अंतर्गत), क्रमशः जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कोष का संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और अपने स्वयं के राजस्व (कर एवं गैर–कर प्राप्तियाँ सहित) शामिल होंगे। अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि नगर निकाय के पास होगा। अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन, नगर निकाय द्वारा प्राप्त सभी धन मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि –102–नगर निकाय कोष में रखा जाता हैं। स्थानीय जमा निधि अंतर्गत नगर निकाय कोष एवं पंचायत निकाय कोष का विवरण **तालिका 4.4** में है।

तालिका 4.4: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
नगर निकाय कोष	(8448–102)	प्रारंभिक शेष	1	1436.53	1738.35	2330.64	2742.77	3307.66
		प्राप्तियाँ	2	1525.00	2122.51	1968.32	2712.09	2469.66
		व्यय	3	1223.19	1530.22	1556.19	2147.20	2033.77
		अंत शेष	4	1738.35	2330.64	2742.77	3307.66	3743.56
पंचायत निकाय कोष*	(8448–109)	प्रारंभिक शेष	5	319.72	140.38	434.93	631.61	650.49
		प्राप्तियाँ	6	955.67	650.99	695.52	735.54	374.78
		व्यय	7	1135.01	356.44	498.84	716.67	270.29
		अंत शेष	8	140.38	434.93	631.61	650.49	754.98

**जिला परिषद् एवं पंचायत समिति कोष शामिल*

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान मुख्य शीर्ष 8448–102 (नगर निकाय कोष) में अव्यवहृत राशि ₹ 1,738.35 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,743.56 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8448–109 (पंचायत निकाय कोष) में ₹ 140.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 754.98 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि, पिछले कई वर्षों में, बिहार सरकार राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष खातों को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक निधि (विशेष रूप से जमा खातों) में हस्तांतरित कर रही है। हस्तांतरित राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में खातों में लिया जाता है यद्यपि वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के दौरान हुआ हो अथवा नहीं। वर्षों से हस्तांतरित राशियों के संबंध में 31 मार्च 2020 तक व्यय दर्शाते हुए, जमा खातों में रखी गयी कुल राशि ₹ 24,942.26 करोड़ हैं, जैसा कि **तालिका 4.5** में दर्शाया गया हैः–

तलिका 4.5: स्थानीय जमा निधि की हस्तांतरित राशि का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	8448 का अवशेष राशि
	वित्त लेखा के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता	वित्त लेखा के अनुसार पूँजीगत व्यय	8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	
2015-16	83,616	4,807	5.75	23,966	4,048	16.89	8,855	8,449.00
2016-17	94,765	6,007	6.34	27,208	14,862	54.62	20,869	13,110.29
2017-18	1,02,624	7,135	6.95	28,907	15,069	52.13	22,204	21,728.33
2018-19	1,24,897	9,306	7.45	21,058	13,606	64.61	22,912	23,181.78
2019-20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृति विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय की नामित राशि को मुख्य शीर्ष–8448 में 16 से 91 प्रतिशत तक जबकि राजस्व व्यय की राशि को 5 से 11 प्रतिशत तक हस्तांतरित किया गया था, जिससे राशि अव्यवहृत रही। लोक लेखा की अव्यवहृत राशि, वास्तविक पूँजीगत व्यय के अतिशयता को इंगित करता है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्त नियमावली के नियम 341(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। बिहार कोषागार संहिता के नियम 431 के अंतर्गत सहायता (जी.आई.ए.) अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीना में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। आगे, वित्त विभाग के शासकीय आदेश दिनांक 06 जनवरी 1975 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष निर्धारित की गयी थी जिसे वित्त विभाग, बिहार सरकार के शासकीय आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा बढ़ा कर 18 माह कर दिया गया।

वित्त विभाग के पत्र, दिनांक 10 अक्टूबर 2013 के अनुसार, वैसे अनुदान जिनका आहरण 01.10.2011 या उसके बाद किया गया हो, का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रपत्र बी0टी0सी0 42(ए0) में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी **तालिका 4.6** में दर्शायी गई हैः

तालिका 4.6 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2010-11 तक	336	3239.46
2011-12	148	1513.50
2012-13	175	1400.00
2013-14	219	1364.39
2014-15	179	2556.26
2015-16	203	2968.25
2016-17	186	4891.98
2017-18	301	13015.00
2018-19	516	27293.34
2019-20	327	21448.74
कुल	**2590**	**79690.92**

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

यह देखा गया कि मार्च 2020 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बड़ी राशि पंचायती राज विभाग (₹ 16,915.25 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 15,158.04 करोड़), समाज कल्याण विभाग (₹ 12,613.98 करोड़), और ग्रामीण विकास विभाग (₹ 8,808.26 करोड़) आदि में पाया गया जैसा कि ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले 10 मुख्य विभाग जिन्हें अगस्त, 2018 तक अनुदान दिया गया था

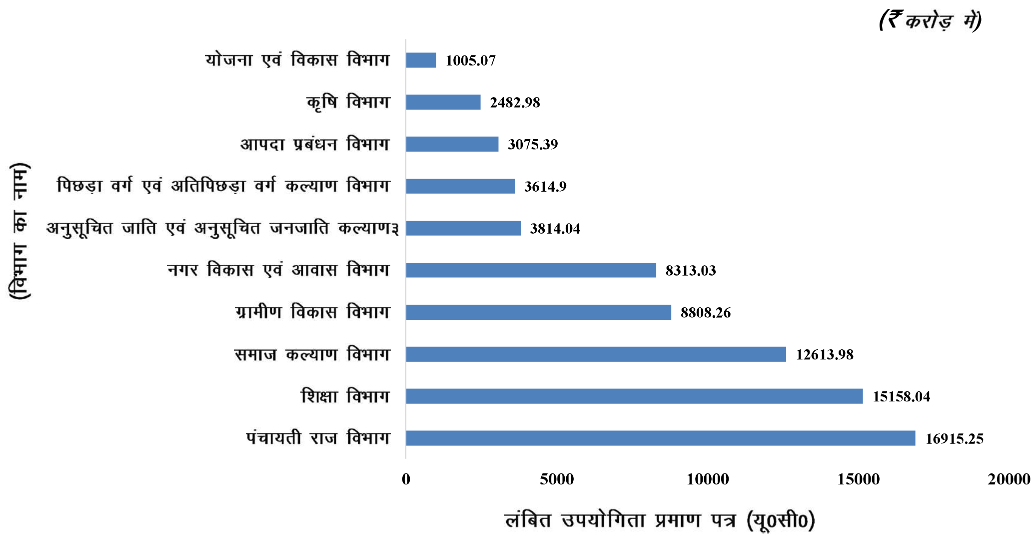

(स्रोतः राज्य का वित्त लेखा)

विभागीय स्तर पर अथवा महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार के कार्यालय में आँकड़ों की उपलब्धता नहीं होने के कारण पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या, गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र का गलत प्रतिवेदन, सावधि जमा खाते में निधि रखने या किसी अन्य प्रकार के कम प्रतिफल वाले खाते का पता नहीं लगाया जा सका।

यद्यपि नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक के प्रतिवेदनों में उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे मामलें नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कई मामलों में, प्राप्तकर्ताओं को उनके विभागों से आगे भी अनुदान प्राप्त करना जारी रहता है,

भले ही पहले के अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हों। अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र का लंबित रहना, निधि के दुरूपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का तात्पर्य है कि प्राधिकार ने यह नहीं बताया है कि वर्षों से निधि कैसे खर्च किया गया। खाता में निधि रखने के कारण अवसर लागत का नुकसान भी एक प्रमुख चिंता का विषय हैं। इन निधियों को उपलब्ध कराने से लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं, ऐसा कहा जाना संभव नहीं है।

4.6.1 अनुदेयी संस्थाओं को "अन्य" अभिलेखित किया जाना

सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को समुचित संस्थान कोड देने के लिए राज्यों में एक तंत्र होना चाहिए। ये अनुदान महालेखाकार कार्यालय के वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण (भी0एल0सी0) प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि की निगरानी की जाती है। यदि, अनुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो लेखाओं की पारदर्शिता के हित मे यह आवश्यक है कि सरकार अनुदेयी संस्थान, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही है, का विवरण तथा स्वरूप बताए।

जाँच के दौरान, यह देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा कोई संस्थान कोड प्रदान नहीं किया गया, न ही भी0एल0सी0 प्रणाली के माध्यम से संस्वीकृत सहायता अनुदान और उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्ज किया गया और विभागवार अनुश्रवण किया गया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल सहायता अनुदान की राशि ₹ 46,581.53 करोड़ में से ₹ 24,374.29 करोड़ (52.33 प्रतिशत) के मामले में अनुदेयी संस्थान का नाम "अन्य" के रूप मे दर्ज किया गया। *(परिशिष्ट* III, *वित्त लेखा 2019–20)*

उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों में लंबित राशि का पता नहीं लगाया जा सका, जो लेखों की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

4.7 सार आकस्मिक (ए0 सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक बिल पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित कि गई हो उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का नकदीकरण छः माह के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने का वर्षवार प्रगति **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने का वर्षवार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		योग		समाशोधन		अवशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	101334	42987.91	1383	1808.68	90177	42421.46	12540	2375.13
2017-18	12540	2375.13	1540	2906.91	468	915.64	13612	4366.40
2018-19	13612	4366.40	1453	631.51	112	73.53	14953	4924.38
2019-20	14953	4924.38	5689	4231.06	0	0.00	20642	9155.44

(स्रोतः संबंधित वर्ष का वित्त लेखा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि कुल 20,642 ए0सी0 विपत्रों की ₹ 9,155.44 करोड़ की राशि मार्च 2020 तक समायोजित नहीं किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान, 289 ए0सी0 विपत्रों की राशि कुल मिलाकर ₹ 805.96 करोड़ की राशि (कुल आहरित 5,689 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,231.06 करोड़ का 19.05 प्रतिशत) विभिन्न पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत परिसंपतियों के सृजन के लिए आहरित किए गए थे। ₹ 644.13 करोड़ (कुल आहरित एसी विपत्रों का 15.22 प्रतिशत) राशि के 1,383 ए0सी0 विपत्र केवल मार्च 2020 मे आहरित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतिम दिन कोई भी ए0सी0 विपत्र की निकासी नहीं की गयी थी।

मार्च माह में ए0सी0 विपत्रों पर पर्याप्त व्यय इंगित करता है कि इनका आहरण मुख्य रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किया गया था जो अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए आहरण प्रायोजन–स्तर आयोजन की कमी को दर्शाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के भी0एल0सी0 प्रणाली में विभागवार लंबित डी0सी0 विपत्रों का संधारण नहीं किया जा रहा है। मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र ***चार्ट 4.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0विपत्र

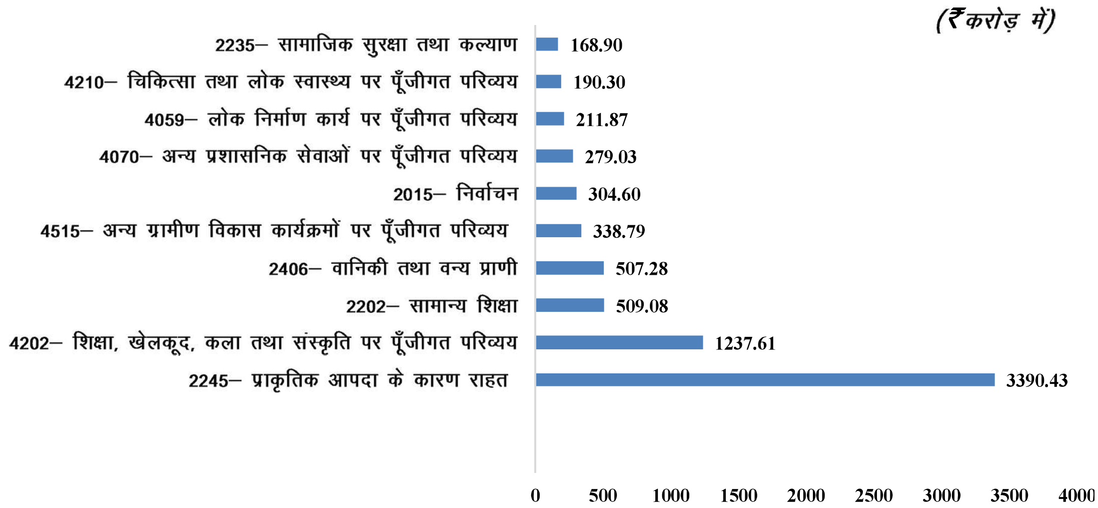

(स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

वित्तीय वर्ष के अंत में सार आकस्मिक विपत्रों द्वारा पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय मुख्यतः बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किए गए आहरण के साथ–साथ निम्न लोक व्यय प्रबंधन को दर्शाता है। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।

4.8 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0, 2011 के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहां सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होती है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर–दराज बिखरे हुए हों जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष

संवितरण व्यावहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में नामित किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)[20] तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना[21] के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0/व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाता, दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0/पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगा। वर्तमान मे, निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

जाँच के दौरान, यह पाया गया कि सभी पी0डी0 खातों को उसके लेखों के नामित शीर्ष 8443–सिविल जमा, 106–व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत खोला गया है। सी0एफ0एम0एस0 (31.03.2019 तक) के पहले 175 पी0डी0 खातों में कुल ₹ 4,377.12 करोड़ पड़े हुए थे। इन खातों में से केवल 163 पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया गया था और 12[22] पी0डी0 खातों को वित्तीय वर्ष 2019–20 में सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया है। दो पी0डी0 खाते सी0एफ0एम0एस0 मे नये खोले गए है जो पूर्व में 175 पी0डी0 खातों में सम्मिलित नहीं थे। एक पी0डी0 खाता जिसे पहले ही 2017 में बंद कर दिया गया था, वर्तमान में यह सी0एफ0एम0एस0 में उपलब्ध पाया गया। 166 प्लस–माइनस मेमो कोषागारों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया था। पी0डी0 खाते महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अनुमोदन से खोले गये थे।

2019–20 के दौरान, आठ पी0डी0 खातों को बंद कर उनमें पड़े ₹ 555.90 करोड़ की राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा कर दिया गया। 2019–20 के दौरान, सी0एफ0एम0एस0 में मौजूद पी0डी0 खातों का विवरण **तालिका 4.8** में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान संव्यवहार (क्रेडिट एवं डेबिट) को कॉलम वर्ष के दौरान योग एवं समापन के अंतर्गत दिखाया गया है।

तालिका 4.8: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

01.04.2019 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2020 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
166	4,361.12	0	552.13	08	1600.31	158	3,312.94

(स्रोतः संबंधित वर्षों का वित्त लेखा)

यह देखा गया कि मार्च 2019 के समापन शेष तथा अप्रैल 2019 के आरंभिक शेष मे ₹ 16.00 करोड़ का अंतर था। कार्यालय, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) ने बताया कि आरंभिक शेष मे अंतर 12 पी0डी0 खातों के स्थानांनतरण नहीं किए जाने और 7 पी0डी0 खातों के लंबित समाशोधन के कारण हैं। वित्त लेखा ***(विवरण 21)*** और प्लस माइनस ज्ञापन के अंतर का समाशोधन किया जा रहा है।

समय–समय पर पी0डी0 खातों का समाशोधन नहीं होना एवं पी0डी0 खातों के अवशेष राशि का वित्त वर्ष समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरण नहीं होना लोक धन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढाता है।

---

20 बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016

21 अधिसूचना सं0. एम0-4-02/2020-2916/एफ0 दिनांकः 03.06.2020

22 डी0डी0सी0 कटिहार; एस0डी0ओ0 नरकटियागंज; एस0डी0ओ0 रजौली (नवादा); अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, निर्माण भवन, पटना; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना; डी0एम0, सहरसा; एस0डी0ओ0, सहरसा; एस0डी0ओ0, मढ़ौड़ा (सारण); एस0डी0ओ0, शिवहर; एस0डी0ओ0, शेरघाटी; एस0डी0ओ0, महनार एवं एस0डी0ओ0, डिहरी।

4.9 वैयक्तिक बही (पी0एल0) खाता

बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता 2014 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष प्रयोजन संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी और सोसायटी आदि, जो किसी भी रूप में धन प्राप्त करते हैं (यथा अनुदान, ऋण, प्रतिशत आधार पर किये गये कार्य इत्यादि), के लिए वैयक्तिक बही खाता कोषागार में खोला जायेगा। राज्य सरकार किसी भी संस्था या किसी विशिष्ट योजना के राशि को पी0एल0 खाता में रखने से छूट दे सकती है। प्राधिकृत अधिकारी गैर–सरकारी चेक के माध्यम से पी0एल0 खाता संचालित करेगा। राज्य सरकार इन संस्थानों की मौद्रिक तरलता को बनाए रखने के लिए किस्तों में पी0एल0 खातों से निकासी कर बैंक खाते में राशि रखने का आदेश दे सकती है। वित्त विभाग विशेष परिस्थितियों मे पी0एल0 खाते में राशि जमा करने और निकालने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

31 मार्च 2020 तक 66 कोषागारों में, आठ नए पी0एल0 खातों सहित 253 पी0एल0 खाते जिनकी कुल राशि ₹ 26,997.71 करोड़ थी। इसके अलावा, 18 पी0एल0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 मे स्थानांन्तरित नहीं किया गया था।

70 पी0एल0 खाते ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2018–19 के अंतशेष एवं वर्ष 2019–20 के प्रारंभिक शेष में विसंगतियाँ पायी गयी। इनमें से, 53 का समाशोधन 22.12.2020 तक कर लिया गया था। अन्य पी0एल0 खातों की विसंगतियों को दूर करने की कार्रवाई महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा की जा रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान कोई भी पी0एल0 खाता बंद नहीं किया गया था।

पी0एल0 खातों की शेष राशि का समय–समय पर समाशोधन नहीं करना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पी0एल0 खातों में पड़े अव्यवहृत शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करना लोक धन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

4.10 लघु शीर्ष 800 का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तब संचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखा के पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल व्यय ₹ 1,38,320.56 करोड़ में से ₹ 640.26 करोड़ (0.46 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800 में किया गया था। इसी प्रकार, कुल प्राप्ति ₹ 1,24,232.53 करोड़ में से ₹ 948.22 करोड़ (0.76 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800 में नामित किया गया *(परिशिष्ट 4.2 तथा 4.3)*। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत 50 प्रतिशत एवं अधिक की व्यय एवं प्राप्तियाँ पायी गयीं जो क्रमशः **तालिका 4.9** एवं **4.10** में उल्लेखित है।

तालिका 4.9: वित्त वर्ष के दौरान "लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800 अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	2250	अन्य सामाजिक सेवा	21.25	23.05	92.21

(स्रोतः वित्त लेखा, 2019–20)

तालिका 4.10: वित्त वर्ष के दौरान "लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800 अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
1	0059	लोक कार्य	5.80	8.60	67.44
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	126.42	137.39	92.02
3	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	26.53	47.54	55.81
4	0230	श्रम और रोजगार	7.76	11.28	68.79
5	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.17	0.17	100.00
6	0404	डेयरी विकास	0.02	0.02	100.00
7	0506	भूमि सुधार	0.16	0.13	121.06
8	0702	लघु सिचाई	10.90	17.69	61.62
9	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.08	0.08	100.00
10	0852	उद्योग	14.63	14.64	99.93
11	1053	नागरिक उड्डयन	1.58	1.95	81.03
12	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100.00
13	1456	सिविल आपूर्ति	0.02	0.02	100.00

(स्रोतः वित्त लेखा, 2019–20)

चार्ट 4.3: वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान "लघु शीर्ष 800 – अन्य व्यय" का संचालन

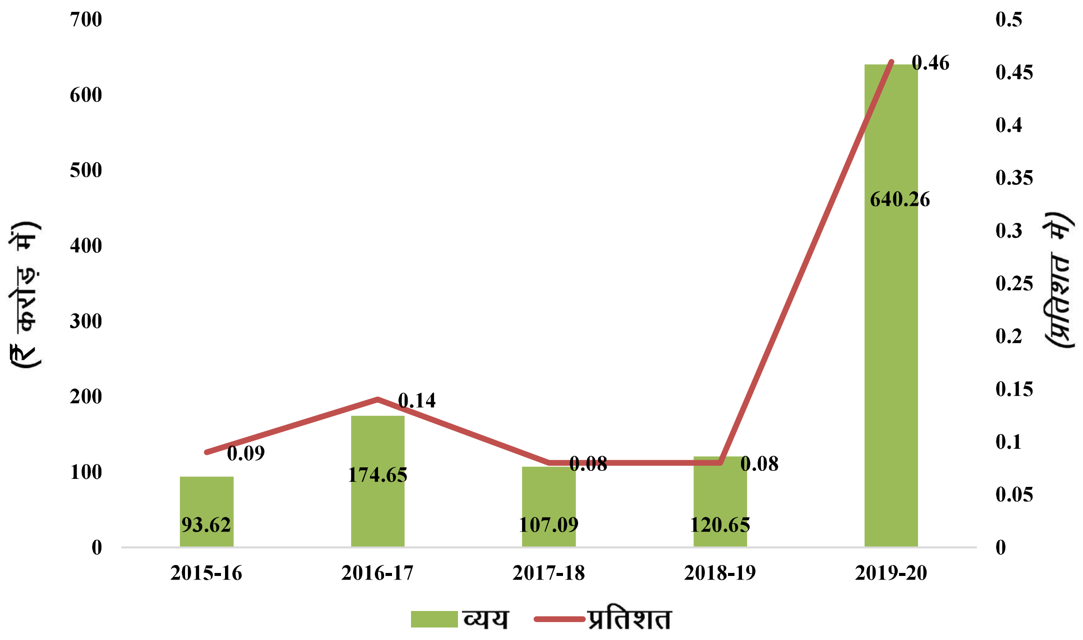

(स्रोतः वित्त लेखा, 2015–16 से 2019–20)

चार्ट 4.4: वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान "लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ" का संचालन

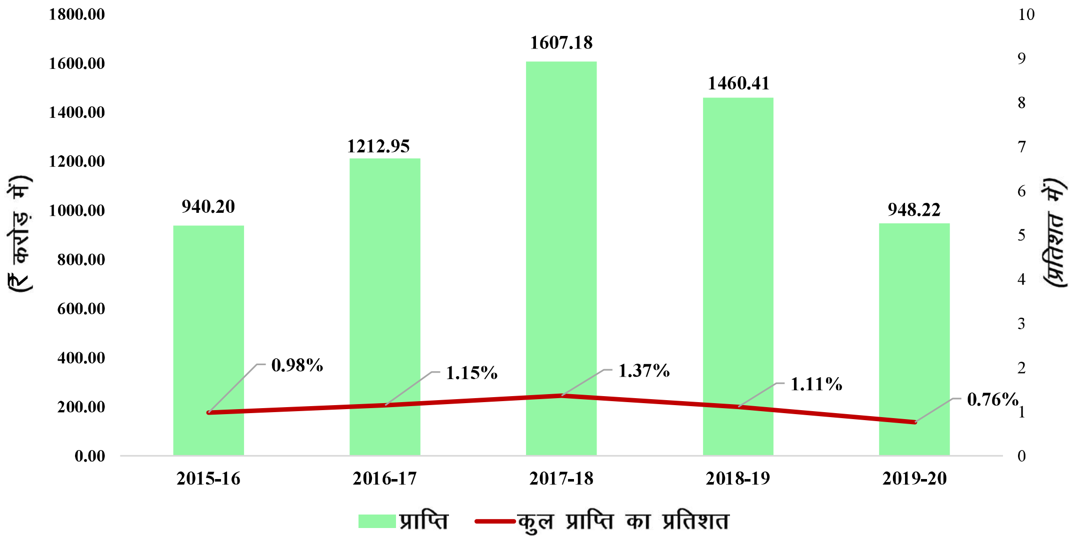

(स्रोतः वित्त लेखा, 2015–16 से 2019–20)

आगे, वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय ₹ 93.62 करोड़ से बढ़कर ₹ 640.26 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 940.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 948.22 करोड़ हो गयी थी। वर्ष 2019–20 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वृहत् व्यय मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 216.42 करोड़) और 6004–केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (₹ 390.77 करोड़) दर्ज किए गए थे।

बड़ी राशियों का वर्गीकरण सर्वव्यापी "लघु शीर्ष 800" के अंतर्गत, वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

पैमाने से संबंधित मुद्दे

4.11 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

निश्चित मध्यवर्गी/समायोजन शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष से जाना जाता है, सरकारी लेखों में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसके प्रकृति की जानकारी न होने के कारण एवं अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 4.11** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.11: उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2017–2018		2018–19		2019–20	
मुख्यशीर्ष 8658–उचन्त	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
101–पी0ए0ओ0 उचन्त	335.27	0.00	314.56	0.00	289.23	0.00
निवल	**नामे 335.27**		**नामे 314.56**		**नामे 289.23**	
102– उचन्त लेखा सिविल	4,059.01	309.73	4,408.94	452.87	10,495.81	638.35
निवल	**नामे 3,749.28**		**नामे 3,956.07**		**नामे 9,857.46**	
107–नकदी निपटान उचन्त लेखा	0.00	32.29	0.00	32.29	0.00	32.29
निवल	**जमा 32.29**		**जमा 32.29**		**जमा 32.29**	
109–रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय	262.54	0.66	264.57	(-) 0.01	249.56	2.56
निवल	**नामे 261.88**		**नामे 264.58**		**नामे 247.00**	
110–रिजर्व बैंक उचन्त सी0ए0ओ0	1,276.72	894.62	1,280.04	894.61	1,194.19	894.61
निवल	**नामे 382.10**		**नामे 385.43**		**नामे 299.58**	
112–स्रोत पर कर कटौती उचंत	776.13	1257.13	1126.83	1455.19	953.83	1281.53
निवल	**जमा 481.00**		**जमा 328.36**		**जमा 327.70**	
123–ए0आई0एस0 अधिकारियों का समूह बीमा योजना	0.23	7.08	0.45	6.91	0.35	6.53
निवल	**जमा 6.85**		**जमा 6.46**		**जमा 6.18**	
प्रमुख शीर्ष 8782–नकद प्रेषण						
102–पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,469.13	15,520.08	16,746.56	15,838.27	16,748.75	15,837.56
निवल	**नामे 949.05**		**नामे 908.29**		**नामे 911.19**	
103–वन प्रेषण	2,779.39	2,535.37	3,146.33	2,937.60	3,146.65	2,938.38
निवल	**नामे 244.02**		**नामे 208.73**		**नामे 208.27**	

(स्रोतः वित्त लेखा, 2017–18 से 2019–20)

यह देखा गया कि शीर्ष 102– उचन्त लेखा–सिविल अंतर्गत निधि में वर्ष 2018–19 के (निवल डेबिट ₹ 3,956.07 करोड़) की तुलना में वर्ष 2019–20 में (निवल डेबिट ₹ 9,857.46 करोड़) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संस्वीकृति आदेश/पेंशन भुगतान कागजात/चलंत विपत्र/उप–अभिश्रव इत्यादि नहीं लगाये जाने के कारण महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय ने अब तक ₹ 7,149.67 करोड़ के 22,857 अभिश्रवों एवं ₹ 63.59 करोड़ के 316 चालानों पर आपत्ति दर्ज किया है। ये सभी उचन्त लेखा में रखे गये है। सभी अभिश्रव एवं चालान अप्रैल 2021 तक संशोधित नहीं किये गये थे।

उचन्त और प्रेषण का समाशोधन राज्य कोषागारों (कार्य और वन विभाग इत्यादि सहित) द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है तो प्रमुख उचन्त शीर्षों के अधीन राशियाँ जमा होती चली जाएंगी जो सरकारी खर्च के सही एवं निष्पक्ष तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करेगी।

4.12 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

विभागों के नियंत्री अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यय को बजट अनुदान के अंतर्गत रखना चाहिए। राज्य के वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि उनके लेखा में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज प्राप्तियॉ और व्यय का समाशोधन प्रत्येक महीने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय के लेखा अभिलेखों के साथ किया जाना चाहिए।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 475 के अनुसार, सभी नियंत्री अधिकारियों द्वारा अपनी प्राप्तियों एवं व्यय का समाशोधन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के साथ करना आवश्यक है।

हालाँकि, वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन नहीं किये जाने की प्रवृति में वृद्धि परिलक्षित की गयी है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्राप्ति ₹ 1,24,232.53 करोड़ में से ₹ 23,681.48 करोड़ (19.06 प्रतिशत) तथा कुल व्यय ₹ 1,38,320.56 करोड़ में से ₹ 1,22,406 करोड़ (88.49 प्रतिशत) का समाशोधन नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 4.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: प्राप्ति और व्यय के समाशोधित आँकड़ो की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल समाशोधित	आंशिक समाशोधित	असमाशोधित (प्रतिशत्ता)
प्राप्तियाँ			
2017-18	103618.71	-	13828.03 (11.77)
2018-19	109325.76	-	22467.70 (17.05)
2019-20	100551.05	-	23681.48 (19.06)
व्यय			
2017-18	12537.11	-	118993.57 (90.47)
2018-19	18864.70	-	127090.35 (87.08)
2019-20	15914.56	-	122406.00 (88.49)

(स्रोतः संबंधित वर्ष के वित्त लेखा एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

विगत तीन वर्षों के समाशोधन की स्थिति का **चार्ट 4.5** मे दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5: तीन वर्ष 2017–20 के दौरान समाशोधन की स्थिति

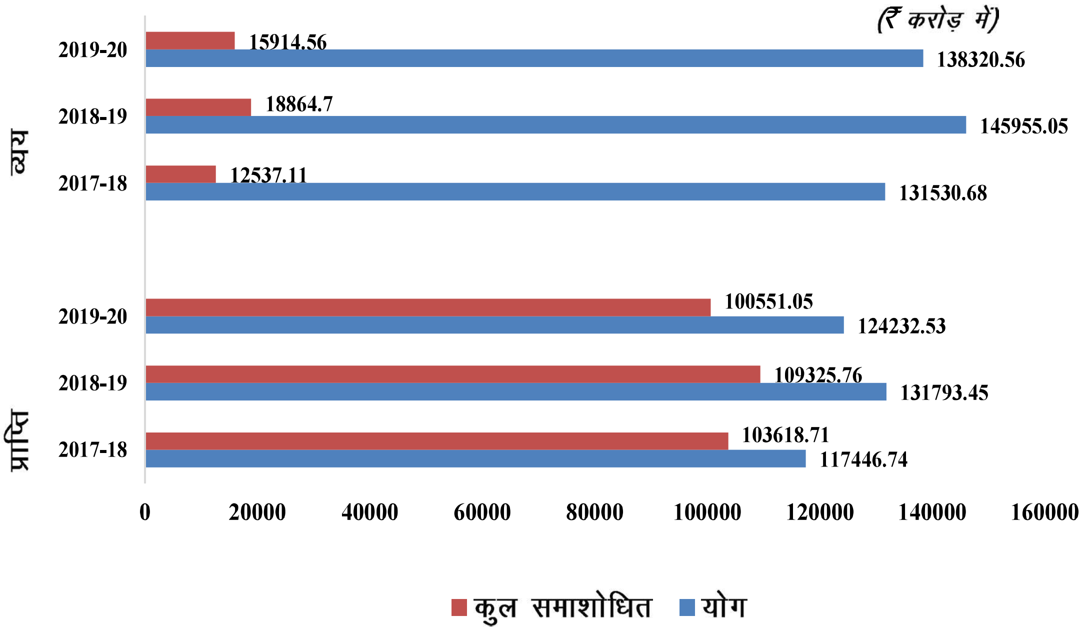

(स्रोतः संबंधित वर्ष के वित्त लेखा एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

इस राशि को भी0एल0सी0 मोड्यूल में मुख्य शीर्षवार दर्ज किया गया है, जिसमें नियंत्री अधिकारियों की कुल संख्या मौजूद नहीं थी। साइबर कोषागार के तहत प्राप्तियों के समाशोधन की सुविधा अभी तक शुरू नहीं की गयी है।

सांहित्तिक प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि बजटीय प्रक्रिया का उद्देश्य भी पूरा नही हुआ।

4.13 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखा में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (भा0रि0बैं0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

हालाँकि, 31 मार्च 2020 को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारतीय रिजर्व बैंक के समाशोधन के अनुसार नकद शेष के बीच ₹ 700.18 करोड़ (डेबिट) का अंतर था। यह अंतर मुख्य रूप से अधिकृत बैंकों द्वारा संव्यवहार के गलत विवरण एवं समाशोधन नहीं किये जाने के कारण है। इस विसंगति का समाशोधन किया जा रहा है।

उपर वर्णित अंतर में से ₹ 11.86 करोड़ (डेबिट) 1964–65 से 1987–88 तक की अवधि से संबंधित हैं जो राज्य सरकार द्वारा बट्टे खातें मे डालने के लिए विचाराधीन है जबकि अन्य विसंगतियों का समाशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान कोई अंतर नकद शेष न तो बट्टे खातें मे डाला गया था न हीं राज्य लेखा में जमा किया गया था।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.14 लेखांकन मानको का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि0म0ले0प0) के सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखा का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि0म0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए, सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की है। नि0म0ले0प0 के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानको का अनुपालन **तालिका 4.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.13: लेखा मानकों का अनुपालन

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई0जी0ए0एस0– 1: सरकार द्वारा दी गयी गारंटी–प्रकटीकरण आवश्यकता	• गारंटियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना • वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण	वित लेखों में अनुपालन विवरणी 9 एवं 20 तैयार की गयी हैं। चूकि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभाग और वर्ष के दौरान दी गयी प्रत्याभूतियों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई0जी0ए0एस0–2: लेखांकन और सहायक अनुदान का वर्गीकरण	• प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन	वित्त लेखा में अनुपालन विवरणी 10 तैयार की गयी हैं।	नहीं।

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	आई0जी0ए0एस0–3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	• ऋण के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग • पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, • ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए	• वित्त लेखा में अनुपालन विवरणी 7 और 18 तैयार की गयी हैं। • संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" का प्रकटीकरण नहीं किया जा सका।	संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

4.15 स्वायत्त निकायों की लेखा/पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण

नि0म0ले0प0 (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा है, का प्रशासक, जब उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तब नि0म0ले0प0 से अनुरोध कर सकेगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया है तब, नि0म0ले0प0 ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के लेखाओं और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

बिहार राज्य के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आने वाले 45 निकायों/प्राधिकरणों में से नि0म0ले0प0 केवल चार निकायों/प्राधिकरणों के ही प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं। शेष 41 निकायों/प्राधिकरणों ***(परिशिष्ट 4.4)*** की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 (डी0पी0सी0) एक्ट 1971 की धारा 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। यद्यपि, इन निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 को नहीं सौपा गया। निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखा की विवरणी **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.14: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं0	निकाय अथवा प्राधिकरण के नाम	अधिकृत प्राप्त	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019–20 तक लंबित लेखाओं की सं0	अभियुक्ति
1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014–15	2018–19 से	2	बी0ए0यू0 अधिनियम, 2015 के कंडिका 31(2) के तहत लेखापरीक्षित
2.	राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2016–17	2014–15 से	3	03.10.16 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित
3.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी0 एस0 एल0 एस0 ए0)	स्थायी	2019–20	1	बी0एस0एल0एस0ए0 अधिनियम, 1987 की धारा 18 के तहत
4.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	स्थायी	2019–20	1	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2)
	कुल			**7**	

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़ा)

4.16 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कम्पनियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अंतिम रूप से तैयार कर लेना है। समय पर लेखा तैयार कर प्रस्तुत करने मे विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती हैं।

यह देखा गया कि 1998–99 से कुल 33 कार्यशील उपक्रमों के कुल 137 लेखे बकाया है, 2015–16 से 3 कार्यशील सांविधिक निगमों के 11 लेखे बकाया हैं और 1977–78 से 37 अकार्यशील उपक्रमों के कुल 1067 लेखे बकाया हैं। 42 अकार्यशील उपक्रमों में से, पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम परिसमापन के अधीन है ***(परिशिष्ट 4.5)***।

यद्यपि सरकार ने वर्ष 2019–20 तक 16 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 02 वैधानिक निगमों और 16 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके खाते 31 मार्च 2020 को बकाया थे, को ₹ 18,872.14[23] करोड़ का बजटीय समर्थन (इक्विटी, ऋण, प्रत्याभूति, अनुदान और सब्सिडी) उपलब्ध कराया था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक निगमों के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 43 वर्षों की अवधि के लिए अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया है ***(परिशिष्ट 4.6)***। बीस सार्वजनिक उपक्रम/निगम जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, घाटे में चल रहे हैं ***(परिशिष्ट 4.7)***।

खातों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण नि0म0ले0प0, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ रहा है। खातों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य

[23] इक्विटी– ₹ 342.63 करोड़, ऋण– ₹ 2,705.97 करोड़, पूँजी अनुदान– ₹ 561.36 करोड़, सब्सिडी– ₹ 7,447.91 करोड़ तथा विस्तारित प्रत्याभूति– ₹ 7,814.27 करोड़।

विधायिका के दायरे से बाहर रहते है। नतीजतन, जवाबदेही सुनिश्चित करने ओर दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किये जा सकते हैं। लोक धन के गलत उपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4.17 लेखाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता

राज्य सरकार के खातों को आर0बी0आई0 के एडवाइस के अतिरिक्त जिला कोषागार, उप–कोषागार, स्थानीय आयुक्त (नई दिल्ली) एवं साइबर कोषागार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखों के आधार पर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा तैयार किया जाता हैं।

यह देखा गया कि 2019–20 की अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते 76 कोषागार (लोक कार्य प्रमंडल एवं वन प्रमंडल सहित) और आर0बी0आई0 के एडवाइस द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखों पर आधारित है। लेखाओं को कोषागारों तथा अन्य प्रतिपादित ईकाइयों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवो, प्रारंभिक और सहायक लेखाओं से तैयार किया गया है। वर्ष के अंत में किसी भी लेखा को नहीं छोड़ा गया था।

अन्य मुद्दे

4.18 गबन, हानि, चोरी, इत्यादि

बिहार वित्त नियमावली के नियम 31 द्वारा प्रावधान किया गया है कि लोक निधि की राशि, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य प्रकार से हानि से संबंधित मामले, संबंधित कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी तथा वित्त विभाग के साथ–साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, चाहे इस तरह हुई हानि की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार पक्ष के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। इस तरह के मामलों को संदेह उत्पन्न होने के तुरंत बाद बिना जॉच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये प्रतिवेदित कर दिया जाना चाहिए। गबन, हानि, चोरी के लंबित मामलों को **तालिका 4.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.15 गबन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलें

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के गबन/हानि/चोरी के मामले		गबन/हानि/चोरी इत्यादि के मामलों के अंतिम निपटान में देरी होने के कारण					
			लंबित विभागीय और अपराधिक जाँच		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई पर अब तक अंतिम समाधान नहीं		अपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन लंबित राशि की वसूली नहीं	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
ग्रामीण कार्य विभाग	11	2.94	0	0	11	2.94	0	0

ग्रामीण कार्य विभाग ने सूचित किया था कि 11 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी जो पिछले 20 वर्षों से लंबित हैं। उन 11 मामलों में से, आठ मामलों में ₹ 2.11 करोड़ की राशि लंबित थी जो 10 से अधिक वर्षों से लंबित थे। तीन मामले पिछले 10 वर्षों से लंबित हैं। हालाँकि, अंतिम कार्रवाई अभी भी नहीं की गयी है।

4.19 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक माह के भीतर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वप्रेरणा से एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना आवश्यक होता हैं। संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर

संबंधित मामलों पर की कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए0टी0एन0) महालेखाकार को (उसकी पुष्टि के बाद लो0ले0स0 को अग्रेसित करने के लिये) उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है।

लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा में वर्णित सभी कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर तत्काल स्वप्रेरणा से कार्रवाई किए जाने हेतु निदेशित किया जाना चाहिए यद्यपि वे मामले लो0ले0स0 द्वारा जाँच के लिए उठाए गए हो अथवा नहीं।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन चर्चा के लिए लो0ले0स0 द्वारा केवल एक बैठक आायोजित की गई थी। वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 285 कंडिकाओं में से 282 कंडिकाएं अभी भी चर्चा के लिए लंबित हैं।

4.20 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
पी0एल0 खातों में विसंगतियों की घटती संख्या	उपकर, रॉयल्टी और नियामकों द्वारा लोक धन को निरंतर राज्य के लोक लेखा के बाहर रखा जाना
	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बढ़ती संख्या
	लंबित डी0सी0 बिलों की बढ़ती संख्या
	उचन्त शीर्ष के अंतर्गत बढ़ती राशि
	ब्याज संग्रही जमाराशियों के संबंध में ब्याज देयता में वृद्धि
	सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं लंबित रहने की अवधि में वृद्धि

4.21 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि–

- सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि–
  - वर्ष के अंत में पी0डी0 खातों में पड़ी सभी राशियॉ अविलंब समेकित निधि में प्रेषित कर दी जाए।
  - पी0डी0 खातों सें संबंधित वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले विभाग और कोषागार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
- लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में दर्शाएं जाने वाले सभी राशियों की व्यापक समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्राप्ति और व्यय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर लिए जाए।
- एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके भीतर प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्र करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसा न किए जाने तक आदेयी को कोई और अनुदान जारी न हो पाए। लंबित प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदारी तय किया जाए।
- सुनिश्चित करे कि सभी नियंत्री अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक से लंबित सभी ए0सी0 विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि इनका आहरण सिर्फ बजट

प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए नहीं किए गए हों। लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन में अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय किए जाए।

- यह देखने की जरूरत हैं कि क्या व्ययित निधि ''पैसा वसूल'' है और क्या इस तरह की इक्विटी एवं ऋण सहायता को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया जा सकता हैं।
- सा0क्षे0उ0 के उन सभी मामलों की समीक्षा करें जहाँ वार्षिक लेखे लंबित हैं, यह सुनिश्चित करें कि वार्षिक लेखाओं को एक समुचित समयावधि के भीतर अद्यतन कर लिए जाएं, और उन सभी मामलों में जहाँ वार्षिक लेखे लंबित हैं, वित्तीय सहायता स्थगित कर दिए जाएं। सरकार को वार्षिक लेखाओं को लंबित रखे जाने के संबंध में जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए।

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक 19 अगस्त 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 अगस्त 2021